कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
मीरजापुर नहर प्रखण्ड, मीरजापुर

नीलामी सूचना संख्या–01/2017–18

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मीरजापुर नहर प्रखण्ड, मीरजापुर के अधीनस्थ मड़िहान स्थित सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन के निर्माणाधीन बाउण्ड्रीवाल के सटे स्थल में पड़ने वाले वृक्षों की नीलामी दिनांक 30.05.2017 अपरान्ह 3:00 बजे मीरजापुर नहर प्रखण्ड, मीरजापुर के कार्यालय परिसर में होगी। इच्छुक व्यक्ति उक्त पेड़ों का निरीक्षण नीलामी की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11:00 बजे निम्न तालिका के अनुसार धरोहर धनराशि कैश अथवा एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, मीरजापुर नहर प्रखण्ड, मीरजापुर के नाम से बन्धक हो जमाकर निविदा प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। उच्चतम बोली दाता की अधिकतम बोली की धनराशि का 25 प्रतिशत (धरोहर धनराशि को समायोजित करते हुए) नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त जमा करनी होगी। अन्यथा बोलीदाता द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। सक्षम अधिकारी द्वारा नीलामी स्वीकृत होने के पश्चात उच्चतम बोलीदाता द्वारा शेष धनराशि व नीलामी की कुल धनराशि पर देय वाणिज्य कर एवं अन्य करों सहित धनराशि 15 दिवस के अन्दर जमा करनी होगी। जिसे जमा न करने पर बोली दाता के पक्ष में स्वीकृत की गयी नीलामी को निरस्त करते हुए जमा की गई धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। अन्य बोली दाताओं की धरोहर धनराशि नीलामी स्वीकृत होने के बाद अवमुक्त कर दी जायेगी।

क्र0 सं0	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों की संख्या	जमानत धनराशि	निविदा प्रपत्र मूल्य
1	यूके लिप्टस एवं शीशम	104	35000.00	100+वैट

शर्तें:–

1. पेड़ों की बोली जहॉ है, जैसा है के आधार पर की जायेगी।
2. एक या समस्त बोली स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है इस सम्बन्ध में नीलामी बोली दाताओं का कोई दावा मान्य नही होगा।
3. बोली की धनराशि पर नियमानुसार वाणिज्यकर एवं अन्य कर यदि कोई देय है बोली के राशि से अतिरिक्त बोली दाता द्वारा विभाग को अलग से देय होगा।

H. M E-Drive

नीलामी के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद होता है तो अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, मीरजापुर का निर्णय सर्वमान्य होगा।

5. बोली स्वीकृत होने पर बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि देय सभी करों सहित जमा करने के उपरान्त सात दिनों के अन्दर सभी पेड़ कटवा कर उठवाना पड़ेगा अन्यथा विभाग द्वारा प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क अलग से लगाया जा सकता हैं पेड़ों को उठाने से पूर्व बोलीदाता को वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
6. नीलामी की एक या समस्त लाट को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी का होगा।
7. कटान प्रारम्भ/समाप्त करने की सूचना सम्बन्धित रेंज कार्यालय में दी जायेगी।
8. यदि प्रश्नगत वृक्षों को नीलामी के माध्यम से या किसी संस्था के माध्यम से कटान कराया जाता है तो ठेकेदार को यह निर्देश दिया जाये कि वह कटान उपरान्त नियमानुसार निकासी/अभिवहन पास प्राप्त कर ही निकासी करें।
9. बोली स्वीकृत होने पर अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा जमा की गई धनराशि पर किसी प्रकार ब्याज अथवा अन्य कोई दावा मान्य नही होगा।
10. समस्त लाटों की नीलामी विभाग द्वारा गठित समिति के समक्ष कराई जायेगी।
11. समस्त लाटों की नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति को अलग–अलग जमानतीय धनराशि जमा करना होगा।
12. अधिकतम बोलीदाता द्वारा बोली गयी धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि बोली स्वीकृति तक विभाग के अधीन जमा रहेगी।
13. बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता को नीलामी प्रपत्र खरीदते समय पहचान पत्र एवं टिन संख्या प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल का निरीक्षण भली–भॉति कर लें। नीलामी बाद किसी प्रकार अन्य दावा मान्य न होगा।

16.05.17

(सी0के0मंगलम्)
अधिशासी अभियन्ता

16.5.17

H. M E-Drive